न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 62 सन 2020
अनवान :–

1. हरिसिंह पुत्र रतनलाल जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रतनलाल पुत्र स्व दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
2. अमरीदेवी पुत्री दूदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
3. नोरादेवी पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
4. सरस्वती पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
5. राजोदेवी पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
6. गौरादेवी पत्नी स्व दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
7. चन्दो पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
8. कृष्णा पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
9. शारदा पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
10. विदृया पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
11. राजबाला पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
12. सुमन पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 28/9/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 106/109 की कुल 6.9820हैक जो पोखरराम पुत्र मनसुख एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 70/76 के खसरा नम्बर 465 की कुल 11. 7390हैक भूमि दुदाराम पुत्र मनसुख के नाम से दर्ज है।

वादीगण के पिता पोखरराम एवं दूदाराम का देहान्त हो चुका हे पोखरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 है एवं पोखरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं पत्नि प्रतिवादी संख्या 6 है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की बहने है दुदाराम के पुत्री/पत्नि है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी संख्या 2 की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर वाद भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पिता पोखरराम एवं दुदाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 106/109 की कुल 6.9820हैक्‍ जो पोखरराम पुत्र मनसुख एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 70/76 के खसरा नम्बर 465 की कुल 11.7390हैक्‍ भूमि दुदाराम पुत्र मनसुख के नाम सें दर्ज है।

वादीगण के पिता पोखरराम एवं दूदाराम का देहान्त हो चुका है पोखरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 है एवं पोखरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं पत्नि प्रतिवादी संख्या 6 है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की बहने है दुदाराम के पुत्री/पत्नि है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी संख्या 2 की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 106/109 की कुल 6.9820हैक्‍ जो पोखरराम पुत्र मनसुख एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 70/76 के खसरा नम्बर 465 की कुल 11.7390हैक्‍ भूमि दुदाराम पुत्र मनसुख के नाम सें दर्ज है।

वादीगण के पिता पोखरराम एवं दूदाराम का देहान्त हो चुका है पोखरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 है एवं पोखरराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं पत्नि प्रतिवादी संख्या 6 है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से साबित है अर्थात पोखरराम एवं दूदाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 70/76 के खसरा न0 465/11.7390हैक में से वादी संख्या 2 के पास –1.1012हैक एवं खाता संख्या 106/109 की कुल 6.9280हैक भूमि रहेगी एवं रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 70/76 के खसरा न0 456 की 10.6370हैक में से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिव 8. 6130हैक एवं प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 2.0240हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोपित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरिसिह पुत्र रतनलाल जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रतनलाल पुत्र स्व दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
2. अमरीदेवी पुत्री दूदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
3. नोरादेवी पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
4. सरस्वती पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
5. राजोदेवी पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
6. गौरादेवी पत्नी स्व दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
7. चन्दो पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
8. कृष्णा पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
9. शारदा पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
10. विदृया पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
11. राजबाला पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
12. सुमन पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 62 सन 2020 निर्णय दिनांक– 28/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 70/76 के खसरा नं0 465/11.7390हैक में से वादी संख्या 2 के पास –1.1012हैक एवं खाता संख्या 106/109 की कुल 6.9280हैक भूमि रहेगी एवं रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 70/76 के खसरा न0 456 की 10.6370हैक में से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 8.6130हैक एवं प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 2.0240हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हरिसिंह पुत्र दुदाराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मैनपाल पुत्र पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 रतनलाल पुत्र स्व दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
3. अमरीदेवी पुत्री दूदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
4. नोरादेवी पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
5. सरस्वती पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
6. राजोदेवी पुत्री दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
7. गौरादेवी पत्नी स्व दुदाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
8. चन्दो पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
9. कृष्णा पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
10. शारदा पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
11. विदृया पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
12. राजबाला पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
13. सुमन पुत्री पोखरराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 62 सन 2020 निर्णय दिनांक– 28/09/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 70/76 के खसरा न0 465/11.7390हैक में से वादी संख्या 2 के पास –1.1012हैक एवं खाता संख्या 106/109 की कुल 6.9280हैक भूमि रहेगी एवं रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 70/76 के खसरा न0 456 की 10.6370हैक में से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 8.6130हैक एवं प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 2.0240हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner